जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 80/2014 अनवानी राजबाला पत्नी श्री मोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 19 ए एस तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1– महेन्द्र कौर पत्नी श्री प्रताप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 ए एस तहसील श्रीविजयनगर 2– विजय पाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 ए एस तहसील श्रीविजयनगर 3– जसपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 ए एस तहसील श्रीविजयनगर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीविजयनगर

11–05–2015

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। वकील प्रार्थीया को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीया के अभिभाषक का कथन है कि न्यायालय उप जिलाधीश, श्रीविजयनगर में लम्बित अनवानी प्रकरण महेन्द्र कौर आदि बनाम राजबाला आदि अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट में न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया अब इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। इस बाबत प्रार्थीया की तरफ से दिनांक 30.12.2014 का प्रार्थना पत्र इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने का भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

चूंकि प्रार्थीया के लिखित आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2014 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का पूर्व में ही निर्णय किया जा चुका है और अब प्रार्थीया अपने मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहती है। इसलिए प्रार्थीया के आवेदन पर यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उप जिलाधीश, श्रीविजयनगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर